



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263556
CG-DL-E-03062025-263556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2344]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2344]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2399(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 722 तारीख 11.02.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में NH-NE4 के कि.मी. 58.820 से कि.मी. 74.195 (महाराष्ट्र विभाग) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 15/03/2025 को "पुण्य नगरी (मराठी)" और "द फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में NH-NE4 के कि.मी. 58.820 से कि.मी. 74.195 (महाराष्ट्र विभाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: ठाणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अम्बरनाथ					
गांव का नाम: बदलापूर					
1	२६७पै	निजी	कृषी	0.0222	शिल्पा सुधीर मुंडे, वैशाली दिपक माळी, तारामती हरिश्चंद्र नाईक, बेबी गोविंद राऊत, भीमा बबन गायकर, रामचंद्र नारायण नाईक, ज्योत्स्ना शिवाजी मारके, शिल्पा शिवाजी धुळे, बबन बाबू नाईक, चित्रा लक्ष्मण नाईक, गणेश लक्ष्मण नाईक, सोनम लक्ष्मण नाईक, स्वाती लक्ष्मण नाईक, ताईबाई लक्ष्मण इरमाळी, सुमन लक्ष्मण नाईक, गणेश अनंता भुसारी, प्रवीण अनंता

					भुसारी, अमोल अनंता भुसारी, शोभा अनंता भुसारी, लता शिवाजी म्हसकर, निरा योगेश शेलार, निरा तुकाराम म्हात्रे, संगिता एकनाथ धुमाळ, कैलास तुकाराम म्हात्रे.
2	२७०/अ पै	निजी	कृषी	0.0016	दशरथ कृष्ण फुलवरे, सुमती सागर फुलवरे, आशिष आनंद दामले, दर्शना आनंद दामले
3	७७/३	निजी	कृषी	0.0023	अशोक दत्तात्रय महाडिक
4	७७/४ पै	निजी	कृषी	0.0003	आशिष आनंद दामले, दर्शना आनंद दामले, रघुनाथ काळू थोरवे, शिवाजी काळू थोरवे, नामदेव काळू थोरवे
5	७७/५	निजी	कृषी	0.0005	सुप्रिया नरेंद्र धोत्रे
गांव का नाम: जोवेली					
6	१०/३/अ	निजी	कृषी	0.0246	सरिता सेलवन
7	१०/४/१	निजी	कृषी	0.0055	सरिता सेलवन
Total				0.057	

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2399(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 722 dated 11.02.2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in

the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE4 in the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Punya Nagri (Marathi)" and "The Free Press Journal (English)" both dated 15.03.2025 under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE4 in the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) in the district of THANE in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: THANE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambarnath					
Village: Badlapur					
1	267P	Private	Agricultural	0.0222	Shilpa Sudhir Mundhe, Vaishali Dipak Mali, Taramati Harishchandra Naik, Bebi Govind Raut, Bhima Baban Gaikar, Ramchandra Narayan Naik, Jyoshna Shivaji Marke, Shilpa Shivaji Dhule, Baban Babu Naik, Chitra Laxman Naik, Ganesh Laxman Naik, Sonam Laxman Naik, Swati Laxman Naik, Taibai Laxman Irmali, Suman Laxman Naik, Ganesh Ananta Bhusari, Pravin Ananta Bhusari, Amol Ananta Bhusari, Shobha Ananta Bhusari, Lata Shivaji Mhaskar, Nira Yogesh Shelar, Nira tukaram Mhatre, Sangita Eknath Dhumal, Kailas Tukaram Mhatre

2	270/A P	Private	Agricultural	0.0016	Dashrath Krushna Phulvare, Sumati Sagar Phulvare, Aashish Anand Damle, Darshana Anand Damle
3	77/3	Private	Agricultural	0.0023	Ashok Dattatrey Mahadik
4	77/4 P	Private	Agricultural	0.0003	Ashish Anand Damle, Darshana Anand Damle, Raghunath kalu Thorve, Shivaji kalu Thorve, Namdev kalu Thorve
5	77/5	Private	Agricultural	0.0005	Supriya Narendra Dhotre
Village: Joveli					
6	10/3/A	Private	Agricultural	0.0246	Sarita Selvan
7	10/4/1	Private	Agricultural	0.0055	Sarita Selvan
Total				0.057	

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director